मुन्तकिली प्रकरण सं0 47/2017 अनवानी 1–गुरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी 21 बीबी तह0 पदमपुर हाल निवासी हालेण्ड जरिये मु0आम अमरजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख नि0 14 पीएसबी तह0 रायसिंहनगर 2– जोगेन्द्र कौर पत्नि जीवन सिंह बनाम भूपेन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर पत्नि पलविन्द्र सिंह पुत्री श्री जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी 25 बीबी हाल 4एफडी तह0 रायसिंहनगर 2–बलविन्द्र कौर 3– पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा पदमपुर 4–तहसीलदार, पदमपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.05.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड का कथन है कि प्रार्थी के खिलाफ एक मुकदमा भूपेन्द्र कौर आदि बनाम गुरजिन्द्र सिंह आदि धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मु0न0 55 में जीवनसिंह पुत्र जगतसिंह को जो विवादग्रस्त आराजी प्राप्त हुई है उसमें जीवन सिंह का 3/4 हिस्सा है। जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण का इस आराजी में 1/4 हिस्सा ही बनता है। उनका आगे कथन है कि प्रार्थी का जो पता वादपत्र में दर्ज है उसके विपरीत अप्रार्थीगण ने जो सम्मन तलवाना पेश किया है उसमें चक 25 बीबी तहसील पदमपुर के पते पर नोटिस जारी करवा लिया और जिस पर तामील कुनिन्दा ने फर्जी तामील आबाद मकान पर करवाई और इस फर्जी तामील को उपखण्ड अधिकारी द्वारा मानते हुए उसके विरूद्ध दिनांक 28.07.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। जबकि इस प्रकार की फर्जी तामील के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही था। प्रार्थी द्वारा उक्त एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय में लंबित है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का पता हाल निवासी हॉलेण्ड लिखा हुआ है। इसलिए नियमानुसार नोटिस भी हॉलेण्ड के पते पर जारी किया जाना चाहिए था। प्रार्थी वर्तमान में हॉलेण्ड में रह रहा है इसलिए प्रा0 पत्र जरिये मुखत्यारआम प्रस्तुत कर रहा है। उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण सरेआम कह रहे है कि उनका अधिवक्ता वरिष्ठ है और उसका लड़का भी आई.ए.एस. है। इस वजह से वह मुकदमा अपने पक्ष में करवा लेंगें। इसलिए प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। अतः उसका प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु एडमिट कर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे और अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगित की जाकर मुकदमा अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

23/5/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं मुन्तकिली प्रा0 पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या /2016 अनवानी भूपेन्द्र कौर वगैरा बनाम गुरजिन्द्र सिंह आदि धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा उसके गलत पते पर नोटिस की तामील करवाने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के कारण को आधार मानकर यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश किया है। इस न्यायालय को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के दौरान पारित किये गये किसी भी आदेश के विरूद्ध उसके गुण दोष पर विचार करने की अधिकारिता नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने यदि कोई उसके विरूद्ध की गई तामील को पर्याप्त मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया है तो उसके विरूद्ध प्रार्थी के पास रिवीजन व रिव्यु का अधिकार उपलब्ध है जिसका उपयोग करने के लिए वह स्वतन्त्र है। उसी अनुसार वह कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थी द्वारा स्वयं भी अपने प्रा0 पत्र में एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाने के लिए अपना प्रा0 पत्र लंबित बताया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया कोई भी अन्तरिम आदेश मुकदमा मुन्तकिली का आधार नही हो सकता। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण का अभिभाषक वरिष्ठ है और उसका लड़का आई.ए.एस. अधिकारी है, यह मुकदमा मुन्तकिली का कोई आधार नही हो सकता।

चूंकि मुकदमा मुन्तकिली के लिए प्रार्थी द्वारा कोई ठोस आधार नही बताया गया है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर